(35)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

राज्यादेश सं० – मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–65/2014 .... पटना–15, दि० ...., 14

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना

विषय – वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग सं०–4 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–राज्य योजना–092–अन्य कार्यालय–0103–"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" के अधीन उपबंधित राशि रू० 67.00 (सड़सठ लाख) में से रू० 40,19,000/– (चालीस लाख उन्नीस हजार रू०) स्थापना मद में व्यय की स्वीकृति।

आदेश – **स्वीकृत।**

02. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–मं०स०का०का० (गठन) 01/2007–995 दिनांक–16.11.2009 द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। संकल्प ज्ञापांक–335, दिनांक–24.07.2013 के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के पद पर प्रो० गुलाम गौस को मनोनीत किया गया है। अधिसूचना संख्या–515, दिनांक–18.09.2014 द्वारा इन्हें मंत्री स्तर की सुविधायें अनुमान्य है।

03. राज्यादेश संख्या–मं०मं०–06/बजट/योजना (आवंटन)–65/2014–234 दिनांक–08.07.2014 द्वारा 12.21 लाख (बारह लाख इक्कीस हजार रू०) रू० की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

04. वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 17/बी०एस०जी०–07/2014–253/वि० दिनांक–11.03.2014, पत्रांक–687/वि० दिनांक–24.07.2014 तथा ज्ञापांक–6720/वि० (2) दिनांक–25.07.2014 के आलोक में बजट में प्रावधानित राशि 67.00 (सड़सठ लाख रूपये) में से राज्यादेश संख्या–234, दिनांक–08.07.2014 के क्रम में रू० 40.19 लाख (चालीस लाख उन्नीस हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

05. उक्त स्वीकृत राशि योजना बजट के मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–राज्य योजना–092–अन्य कार्यालय 0103–"20 सूत्री कार्यक्रम कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते" से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–P2052000920103 है।

06. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्यपदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना होंगे।

07. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से होगी।

08. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

09. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96/वि० (2) दिनांक–03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या–मं०मं०–06/बजट/योजना (आवंटन)–65/2014 के पृष्ठ संख्या–06/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि०(2) दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\Budget\राज्यादेश .doc

कृ०पृ०उ०

(34)

ज्ञापांक – *मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–65/2014 .... पटना–15, दि० ...., 2014*

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – *मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–65/2014 .... पटना–15, दि० ...., 2014*

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – *मं०मं०–06/बजट (योजना आवंटन)–65/2014* 520 *पटना–15, दि०* 21.10.*2014*

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना website पर upload हेतु सूचनार्थ।

21.10.14
(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
21/10/14

E:\Budget\राज्यादेश .doc